राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (P–175) अलेसे–I/524 दिनांकः–20/07/2017

कार्यालय आदेश

पूर्व विभागीय आदेश क्रमांक 867 दिनांक 01.12.2016 (क्रम संख्या 43) के द्वारा श्री फूलचन्द सैनी के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे, लेकिन विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण इन्हें "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। विभागीय आदेश क्रमांक 631–34 दिनांक 21.08.2009 एवं 184–189 दिनांक 08.05.2015 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विचाराधीन/लम्बित कार्यवाही क्रमशः आदेश क्रमांक 1957–1959 दिनांक 23.12.2016 एवं 205–209 दिनांक 23.05.2017 के द्वारा समाप्त की जा चुकी है। अतः अब यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री फूलचन्द सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, सीकर के विरूद्ध आज तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहीयॉ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (P–175) अलेसे–I/524 दिनांकः–20/07/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सीकर।
3. जिला परियोजना समन्वयक, सर्वशिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, सीकर।
4. श्री फूलचन्द सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक, सर्वशिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, सीकर।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)